## कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन-8306002022

निविदा सूचना संख्या DLSA/2024-25/34103

दिनांक : 21.03.2025

UBN No-

NIB No-

E-proc ID-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के लिये अस्थायी कार्मिक उपलब्ध कराने के लिये श्रम विभाग से श्रम आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदार/फर्म/आपूर्तिकर्ता से निविदायें

आमात्रत	की	जाती	है।	विवरण	। निम्नानुसार	हैं:−

			1 1 1 11 3 (11)					
क्र स	कार्य का विवरण	कार्मिकों की संख्या	अनुमानित लागत (रू.)	बोली प्रतिभूति राशि (रू.)	बोली प्रपन्न शुल्क राशि (रू)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा (तकनीकी— विणिज्यिक) खोलने की दिनांक व समय
1	Man with Machine (District Court Campus)	04						
2	Office Assistant (For LADC Office)	03	19.00.000/	26,000	500/	29.03.2025	29.03.2025	29.03.2025 सांय
3	Receptionist Cum Data Entry Operator (For LADC Office)	01	18,00,000/-	36,000/-	500/-	सांय 01.00 बजे तक	सांय 04.00 बजे तक	04.30 बजे
4	Office Peon (For LADC Office)	03						

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं शर्तें, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in/ तथा https://districts.ecourts.gov.in/udaipur पर भी देखी जा सकती है।

2. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500 / — ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075—00—800—52—01, प्रतिभूति राशि 36,000 / — ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443—00—103—00—00 तथा RISL Fees 500 / — ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8658—00—102—16—01 में जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी। नकद अथवा डी.डी. से जमा कराये गये निविदा शुल्क, प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं किये जाकर निविदा से वर्जित किया जायेगा। (Department Code - 100211, DDO Code - 25114)

3. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा

4. मैन विद मशीन हेतु कार्मिकों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

सचिव सचिव

(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर **४** 

## कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन-02942412210

### खुली निविदा प्रपत्र 1 (तकनीकी निविदा)

l -	ानावदा प्रस्तुत करन वाला फम का नाम व पता व माबाइल नंबर
2-	निविदा शुल्क रुपये 200 / – ई ग्रास चालान संख्या
	बजट मद 0075-00-800-52-01 निविदा प्रपत्र शुल्क में जमा करवा दी गई है।
3-	निविदा प्रतिभूति / धरोहर राशि रुपये का ई-ग्रास चालान संख्या का
	दिनांक द्वारा बजट मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति राशि में जमा करवा दी गई है।
4-	RISL Fees 500/- ई ग्रास चालान संख्या दिनांक के माध्यम से बजट
	मद 8658-00-102-16-01 RISL Fees में जमा करवा दी गई है।
5-	निविदादाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा
	इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति निविदा दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:-

S.	Particulars	Reg. No. and	Date of	Annexure
No.		Year	reg.	No.
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन)			
	अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)			
5.	आय कर नम्बर (PAN Number)			
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम			
	1958 या			
	इण्डियन पार्टनरिषप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या			
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			•
7.	अनुभव का विवरण (अपने लैटर हेड पर पृथक से			
	सूची संलग्न करे और संबंधित विभाग / संस्थान से			
	जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण भी संलग्न करें)			
8	बैंक खाते का Cancelled चेक			

नोट:- नियमानुसार जो भी लागु हो, उसमे सम्पूर्ण सूचनायें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 7- मैं / हम राजस्थन लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक अपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी उपबन्धों के सभी उपबन्धों, समय—समय पर किये जाने वाले संषोधन सहित से यथावत बाध्य होना भी स्वकार करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

पाचिव साचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्वयपुर (पाज) १४

## कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, कोर्ट चौराहा, उदयपुर, फोन-8306002022

## खुली निविदा प्रपत्र 2 (वित्तीय निविदा)

कार्य आधारित सेवाओं के लिये प्रशिक्षित आपरेटर मय कम्यूटर सिस्टम (मैन विद मशीन) के उपापन के लिये वित्तीय निविदा / प्राईस बिड में हमारी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्रम		श्रमिकों	श्रमिक	कि प्रचलित न्यूर	पारिश्रमिक जो नतम मजदूरी की । नही होगी	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	साम्रगी राशि या उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस	कुल राशि
सं.	सेवा का नाम	की संख्या	की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति इकाई) रुपये	राशि (प्रतिमाह प्रति इकाई) रुपये	(प्रतिमाह प्रति इकाई)	(प्रतिमाह प्रति इकाई)	(प्रतिमाह प्रति इकाई) रुपये	चार्ज (प्रतिमाह प्रति इकाई)	जुर <b>ा</b> सारा रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Man with Machine (District Court Campus)	04	Highly Skilled	9334/-	9334	As pe	er rule			
2	Office Assistant (For LADC Office)	03	Highly Skilled	9334/-	19000 (Max Amt inclusive of EPF, ESI and all taxes)	As pe	er rule	Not App	licable	
3	Receptionist Cum Data Entry Operator (For LADC Office)	01	Highly Skilled	9334/-	16000 (Max Amt inclusive of EPF, ESI and all taxes)	As pe	r rule	Not App	licable	
4	Office Peon (For LADC Office)	03	Semi Skilled	7410/-	11000 (Max Amt inclusive of EPF, ESI and all taxes)	As pe	r rule	Not App	licable	

1. उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 8 तक की पूर्तियां (वर्तमान में प्रचलित / विद्यमान दर / राशि है) जो इस कार्यालय द्वारा की जाकर निविदा दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 9 से 11 में ही निविदादाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियाँ अंकित की जायेगी।

2. उक्त तालिका में से क्रम संख्या 01 हेतु संवेदक / निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर समय—समय पर सक्षम स्तर से यथा निर्धारितनुसार वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि देय होगी तथा क्रम संख्या 02 से 04 के लिये GST अंकित दरों में

शामिल होगा।

3. उक्त तालिका के क्रम संख्या 01 के लिये कॉलम संख्या 4 से 8 में पूर्व में अंकित दर/राश जैसी भी स्थिति हो, संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित दर/राशि के अध्याधीन होगी अर्थात संविदा की सम्पूर्ण अविध, जिसमें संविदा में की गई अभिवृद्धि की अविध भी शामिल होगी, में जब कभी सक्षम स्तर से (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सक्षम संवैधानिक संस्था/सक्षम प्राधिकारी) से इन दर/राशि में यदि कोई कमी अथवा वृद्धि की जाती है तो वह कमी अथवा वृद्धि उसके प्रभावी होने की दिनांक से ही इस संविदा पर भी लागू होगी और संविदा की शेष अविध जिसमें संविदा में की गई अभिवृद्धि की अविध भी शामिल होगी, यथा संशोधित समझी जावेगी।


4. कॉलम संख्या ९ व १० में दरें शून्य/ऋणात्मक में स्वीकार नहीं की जायेगी। केवल दशमलव के साथ अंकित दरें भी शून्य ही समझी जावेगी किन्तु किसी संख्या के साथ (० के अलावा) दशमलव मान्य होगा। उदाहरणार्थ .50/.75/0.50 यदि मान्य नहीं किन्तु 1.01 मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर




## नियम एवं शर्ते

- 1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 500 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075—00—800—52—01, प्रतिभूति राशि 31,000 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443—00—103—00—00 तथा RISL Fees 500 / ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8658—00—102—16—01 में जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी। नकद अथवा डी.डी. से जमा कराये गये निविदा शुल्क, प्रतिभूति राशि स्वीकार नहीं किये जाकर निविदा से वर्जित किया जायेगा। (Department Code 100211, DDO Code 25114)
- 2. Office Assistant के लिये किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि रुपये 19000 (Including EPF, ESI and all Taxes) से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार
- 3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
- 4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक / निविदादाता का होगा।
- 5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक / निविदादाता ही उक्त प्रकार की निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
- 6. संवेदक / निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक / निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 7. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / निविदादाता का होगा।
- 8. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अविध के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय—समय पर वृद्धि होने पर संवेदक / निविदादाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
- 9. संवेदक/निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ., .ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 10. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा।
- 11. Man with Machine के लिये संवेदक / निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक / निविदादाता की ही होगी। किसी भी स्थिति में करों के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा।
- 12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्घारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/निविदादाता का




- ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों / दायित्वों के लिये संवेदक / निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13. यदि संवेदक / निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक / निविदादाता की होगी। इसके लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 14. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा।
- 15. कार्य सम्पादन अविध के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस.आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / निविदादाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 16. यदि संवेदक / निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक / निविदादाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
- 17. प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में निविदादाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवाना होगा।
- 18. तकनीकी—वाणिज्यिक निविदा में सफल निविदादातादओं / संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति / अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवाना न्यूनतम निविदादाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
- 19. अनुबंधित निविदादाता / संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध करने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता है / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।
- 20. निविदा की विधि मान्यता वित्तीय निविदा / प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अविध के लिए विधि मान्य होगी।
- 21. यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें संमान मिलती है तो अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
- 22. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
- 23. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 04 दिवस में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
- 24. मूल्यांकन की कसौटी तकनीकी—वाणिज्यिक निविदा में सफल / क्वालिफाइड निविदादाता / संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय निविदा / क्वालिफाईंग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
- 25. बोलियों का अपवर्जन :— अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर निविदा को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- 26. निविदा प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)



सफल निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित निविदा प्रतिभूति राशि निम्न 'कं' से 'ड' तक की शर्ते पूरी नहीं करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।

निविदा प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा:-

- क. जब निविदादाता निविदा खुलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- ख. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है।
- ग. जब निविदादाता निविदा स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- <u>घ.</u> जब सफल निविदादाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- <u>ड</u>. यदि निविदा लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय—6 में विनिर्दिष्ट निविदा लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
- 27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :--
  - 31. निविदा आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम के 0.15 प्रतिशत (न्यूनतम 1000 रूपये) के बराबर राशि के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
  - ब. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।
- 28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance Security Deposit):— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलो में समपहरण किया जा सकेगा (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लधन किया गया हो।
  - (ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
  - (ग) जब निविदादाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलो में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
- 29. भूगतान:-
  - (1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित निविदादाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 30. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages):— परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:—
  - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए -2.5%
  - (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि सें अधिक 5% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनिधक के लिए
  - (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक 7.5%
  - (घ) ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए -10%
  - (ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।
  - (छ) यदि निविदादाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्वि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्वि चाहता है, तो



वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

- (ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
- 31. निविदा प्रपत्र पर संवेदक / सरंथा द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 32. लागू होने वाले करों की कटौति नियमानुसार की जायेगी।
- 33. निविदा दर दिनांक 31.03.2026 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।
- 34. किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 35. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर (राज.) **४** 

### कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्ते

- 1. Computer system Includes the following items with specifications
  - a. Computer Intel Core i5/Equivalent AMD based computer or higher speed, RAM 4/8 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 20" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 10 or Higher, Anti Virus, Prinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.
  - b. Printer Black and white laser printer with speed 15 ppm or more for specific needs.
  - c. UPS Online/Offline UPS for above computer with 15 minutes battery backup.
- 2. Trained Personnel The personnel should have knowledge to operate computer in Window/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English. For this, a proficiecy test will be taken by this office.
- 3. विशिष्ट शर्ते -
  - 1) स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेशिफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।
  - 2) उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जावेगी। विद्युत व्यय का भार विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। यह विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
  - 3) निविदादाता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद या पूर्व आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवाऐं जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
  - 4) किसी भी माह के 4 कार्यदिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर के गैर हाजिरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से 200/— प्रतिदिन कटौति की जावेगी।
  - 5) विशेष परिस्थितियों में यह विभाग इस 4 दिन की अवधि को बढ़ा सकता है। जिसके लिए उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
  - 6) कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
  - 7) यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक़ नहीं कराने पर 15 दिवस का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।
  - 8) यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदादाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
  - 9) कम्प्यूटर सेवाओं के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
  - 10) भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किए जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता। है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त निविदादाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

संचिव सांचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एदयपुर (राज.)8 11) समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व निविदादाता) द्वारा उदयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी। अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

12) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डाटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को ब्रदलने एवं हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवाएगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलीट किया

जायेगा।

13) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वरा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमित डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेड़छाड़ / रद्दोबदल / धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

14) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय की गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं

करेगा।

15) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि / अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल—चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।

16) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉब / कार्य नहीं करने पर संवेदक / निविदादाता द्वारा 4

दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक / (ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।

17) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्यस्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/निविदादाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबिक अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उनके स्थान पर लगाने की तत्काली व्यवस्था करेगा।

18) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोड़ने / स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक / निविदादाता द्वारा उसके स्थान पर प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।

19) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिंक भेदभाव या उत्पीड़न करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

20) प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल-चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी


संवेदक / निविदादाता की होगी।

21) निविदा खोलने की दिनांक को अवकाष होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

22) समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

- 23) निविदा द्वि—प्रकमी निविदा के रूप में आमंत्रित की गई है। निविदा दाता की तकनीकी क्षमता हेतु निम्न दस्तावेजों की स्वतः द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जावे :
  - a. तकनीक एवं वित्तीय निविदा पत्र भरा हुआ
  - b. समस्त आवश्यक पंजीकरण दस्तावेज
  - c. एनेक्सर-ए हस्ताक्षरित
  - d. एनेक्सर-बी हस्ताक्षरित
  - e. एनेक्सर-सी हस्ताक्षरित
  - f. एनेक्सर-डी हस्ताक्षरित

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



### घोषणा पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रिजस्टर्ड है, वास्तिविकता में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी निविदा प्रतिभूति / एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर किया जा सकेंगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

पिया प्राधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर (राज.)

#### Annexure A - Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

#### Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in abiding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder of any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:	Signature of Bidder
Place :	Name:
	Designation:
	Address:

### **Annexure B - Declaration by The Bidder regarding Qualifications**

### **Declaration by the Bidder**

	• •	e Inviting Bid No Dated I/We			
	•	sparency in Public Procurement Act, 2012, that:			
1.	I/We possess the necessary professiona competence required by the Bidding Docu	l, technical, financial and managerial resources and ument issued by the Procuring Entity;			
2.	•	gation to pay such of the taxes payable to the Union thority as specified in the bidding document;			
3.	<ol> <li>I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;</li> </ol>				
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;					
5.	I/We do not have a conflict of interest a which materially affects fair competition;	as specified in the Act, Rules and Bidding Document,			
	Date: Place :	Signature of Bidder Name: Designation: Address:			

#### Annexure C - Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

#### (1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lien in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

#### (5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Date:	Signature of Bidder
Place :	Name:
	Designation:
	Address:

#### (6) Fee for Filling Appeal

- (a) Fee for filling appeal shall be rupees two thousand five hundred, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of ban demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:	Signature of Bidder
Place:	Name:
	Designation:
	Address.

#### **Annexure D - Additional Conditions of Contract**

#### 1. Correction of arithmetic errors.-

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.
  If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.-

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase of decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change n the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 50% of the value of Goods of the original contract on same terms and conditions. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

#### 3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Biddder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

## Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No of .	
Before(Ap	pellate Authority)
1 Particulars of appellant:	
(i) Name and father's name of the appellant	:
(ii) Official address	:
(iii) Residential address	:
2. Name and address of the respondent(s)	
(i)	
(ii)	
(iii)	
2. Number and date of the order appealed against	and name and designation of the officer / authority
who passed the order, or a statement of a decis	ion, action or omission of the procuring entity in
contravention to the provisions of the Act by wl	
If the Appellant proposes to be represented by:	
a representative the name and postal address	
of the representative.	
5. Number of affidavits and documents enclose wit	h the appeal:
6. Grounds of appeal:-	
	(Supported by an affidavit)
	(Supported by an arrangement)
Place	
Date	

3.

#### **SELF-DECLARATION – NO BLACKLISTING**

I/We declare that I/We are bonafide Manufacturer/ Authorized Dealer in the Good/Stores/Equipments/Furniture's for which I/We have Tendered. I/ We hereby declare that presently our Company/ firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/UT.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Date:

Place:

Name of the Bidder Authorised Signatory Seal of the Organisation

# AGREEMENT (See Rule 68)

(On non-judicial Stamp Paper of Rajasthan Government of the value as per S.R.-16)

An agreement	made this day o	f	between	
•	er called "the approved supplier",			
be deemed to include	his heirs successors, executors	and administrators of	the one part and the	
Government of the Sta	ate of Rajasthan (herein after call	led "the Government"	which expression shall, wh	nere
the context so admits,	be deemed to include his succes	ssors in office and as	signs) of the other part.	
02. Whereas t	he approved supplier has agreed	d with the Governmen	t to supply to the	of
the State of Rajasthan	at its Head Office as well as at b	oranches offices throu	ighout Rajasthan, all those	
articles set forth in the	schedule appended hereto in the	e manner set forth in	the conditions of the tender	r and
contract appended her	ewith and at the rates set forth in	n column	of the said schedule.	
03. And wherea	as the approved supplier has dep	posited a sum of Rs	in	
(1) Cash/Bank	Draft/Challan No./Banker Chequ	ıe No	dated	
(2) Post Office	Savings Bank Pass Book duly h	ypothecated to the De	epartmental authority.	
(3) National Sa	vings Certificates/Defence Savir	ngs Certificates, Kisar	Nikas Patras, or any other	r
script/instrument unde	r National Saving Schemes for p	romotion of Small Sa	vings, if the same can be	
pleased under the rele	vant rule. (The certificates being	accepted at surrende	er value) as security for the	due
	presaid agreement which has bee	en formally transferre	d to the departmental author	ority.
	Presents witness:			
` '	ration of the payment to be made	•	•	set
	ereto appended the approved su			
	thereof in the manner se			
` '	tions of the tender and contract f	•		•
	and also appended to this agree		to be taken as part of this	
_	nding on the parties executing thi	•		
	s received from tender		issued by the Governr	ment
• •	agreement shall also form part of	•		
	overnment do hereby agree that		* * *	d
	aforesaid observe and keep the			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	or cause to be paid to the approve	• •	e and the manner set forth	in the
	nount payable for each and every	•		
• •	of Payment will be as specified be			
	22			:
	y shall be effected and complete	a within the period no	ned below from the date of	
supply order :- S. No.	Itoms Quantity		Dolivery period	
3. NO.	Items Quantity		Delivery period	

- 06. (1) (i) In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply:
  - a. Delay up to the one fourth period of the prescribed delivery period. 2.5 %
  - b. Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period. 5.0 %
  - c. Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period. 7.5 %
  - d. Delay exceeding three fourth of the prescribed period. 10 % Note :
- (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.
  - (ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10%
- (iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.
- (2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the tenderer.
- 07. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the....... day of ....... 20.......

Signature of the approved supplier.	Signature with Designation
Date:	Date:
Witness No. 1	1. Witness
Witness No 2	2 Witness

करार (अनुबंध) पत्र (निर्धारित नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

1.	यह करार पत्र आज दिनांकको प्रथम पक्ष	
	(अनुमोदित सप्लायर) तथा राजस्थान राज्य सरकार व प्राधिकरण, उदयपुर द्वितीय पक्ष के मध्य सम्पन्न किया हुः	
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.	अनुमोदित सप्लायरराजस्थान राज्य के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधि	धेकरण, उदयपुर द्वारा जारी निविदा सूचना
	संख्यादिनांकदिनांक के अनुक्रम में प्रस्तुत कार्य/सामान	
	की निविदा के प्रतिफल में उ	क्त कार्यालय से प्राप्त कार्यालय/आपूर्ति
	आदेश क्रमांकदिनांकराशि	
	में दी गई सभी वस्तुओं / सामानों की आ	पूर्ति निविदा एवं संविदा की शर्तो पर दिये
	गये तरीके / प्रक्रिया से सरकार को करने के लिए सहमत	
3.	उक्त कार्यादेश/आपूति आदेश की राशि	ф 42 5
	प्रतिशत, राशिकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (SD) डीडी संख्याकी	
	दिनांकसे जमा कराई जा चुकी है।	
4.	यदि अनुमोदित सप्लायर कार्यादेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में	
	कार्य / आपूर्ति करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाये रखेगा तो सरकार, जिला	
	विधिक् सेवा प्राधिकरण के माध्यम से राज्य सरकार की वित्तीय नीति निर्देशों के अनुसार प्रत्येक	
	माल प्रेषण की देय राशि का भुगतान करेगी या करवाएगी।	
5.	माल / सेवा की आपूर्ति कार्य आदेश जारी होने की ति	थे सेदिवस में पूर्ण की
	जावेगी।	
6.	करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित	
	सभी प्रश्न सरकार की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा विनिश्चत किए जावेंगे	
	जो अन्तिम रूप से स्वीकार/मान्य होंगे।	
	निम्नांकित् की साक्षी में दोनों पक्षकारों ने आज दिनां	क को अपने
	हस्ताक्षर किए।	
поп	। पक्षकार	द्वितीय पक्षकार
	मोदित सप्लायर का नाम एवं मोहर)	्राक्षताच पदाकार (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(બંગુ	नादित संस्थायर का नान एप नाहर)	उदयपुर)
साक्षी	संख्या 1	साक्षी संख्या 1
साक्षी	संख्या 2	साक्षी संख्या 2